विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-04/2025

मे0 इंडस टावर्स लिमिटेड, मालू–01, स्कीम नंबर 94–सी – आवेदक
प्लॉट नम्बर 26, रिंग रोड, इन्दौर (म0प्र0)
मोबाई नम्बरः 9425052709

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग, – अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
खण्डवा–प्रथम, डिविजन, खण्डवा (म.प्र.)

आदेश

(दिनाँकः 11 जून, 2025)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री आशीष जैन उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक यंत्री, श्री विनय शुक्ला, असिस्टेंट ग्रेड–2, एवं श्री दीपांशु वर्मा, असिस्टेंट ग्रेड–3, खण्डवा उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक **डब्ल्यू 0571624** में पारित आदेश दिनाँक 02.09.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावदेन में आवदेक के विद्युत मीटर में पी.टी. मिसिंग के कारण दिनांक 01.10.2021 से 24.01.2022 के दौरान अनावेदक द्वारा की गई अतिरिक्त बिलिंग को समाप्त कर जमा की गई राशी वापस दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

02. आवेदनकर्ता ने **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021"** की कण्डिका 3.37 में निर्धारित समय सीमा के पश्चात् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। विद्युत लोकपाल के समक्ष

अभ्यावेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण यह बताया गया कि इन्दौर फोरम का आदेश अधिवक्ता द्वारा आदेश की दिनांक से लगभग तीन माह पश्चात् प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् आवेदक के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आदेश की प्रति आवेदक के पास नहीं पहुच पाई जिस कारण से विषयांतर्गत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। अभ्यावेदन के प्रारंभिक परीक्षण पर यह पाया गया कि आवेदक द्वारा अभ्यावेदन विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारणों की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण को विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों को साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ परीक्षण हेतु दिनांक 28.04.2025 को सुनवाई नियत की गई।

दिनाँक 28.04.2025 को आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आशीष जैन ने बताया की इस प्रकरण में फोरम का आदेश उनके द्वारा दिनांक 27.12.2024 को प्राप्त कर लिया गया था परन्तु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे आदेश की प्रति आवेदक के पास नहीं पहुँचा पाये जिस के कारण विषयातंर्गत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। उन्होने यह भी कथन किया कि अभ्यावेदन को विलंब से स्वीकार करने हेतु अभ्यावेदन के साथ सलंग्न आवेदन में आवेदक का पता बदलने संबंधित तथ्य गलती से अंकित हो गये थे।

उपरोक्त कथन के साथ उन्होने अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए निराकृत करने हेतु अनुरोध किया। उपरोक्त मौखिक कथन के साथ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में लेकर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारणों पर विचार करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया।

उपरोक्त अनुसार उभयपक्षों को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक **14.05.2025** को नियत की गई।

03. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–

मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड के नाम से ग्राम बडानी में एक गैर घरेलू सर्विस कनेक्शन है जिसका सर्विस क्रमांक एन 3500014559 है एवं स्वीकृत भार 15.0 किलोवॉट हैं ।

अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आवेदक/उपभोक्ता को एक पत्र जारी किया गया जिस अनुसार उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर क्रमांक 9019381 में दिनांक 24.01.2022 को अनावेदक की एस.टी.एम टीम द्वारा निरीक्षण किये जाने पर दिनाँक 01.10.2021 से 24.01.2022 तक पी.टी. मिसिंग होना पाई गई थी।

उक्त निरीक्षण में पाई गई R-फेस पी.टी मिसिंग के कारण अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा R-फेस Voltage मिसिंग के कारण उपभोक्ता को अतिरिक्त बिल रू. 26,114/— जारी कर सात दिवस मे भुगतान हेतु लिखा। उपभोक्ता द्वारा मांग की गई संपूर्ण राशि अंडरप्रोटेस्ट जमा करा दी गई ताकि उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित ना हो सके। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा इन्दौर फोरम में प्रकरण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया, कि उपभोक्ता के परिसर में कोई पी.टी. मिसिंग नहीं हुई है एवं पी. टी मिसिंग पाई गई तो उक्त समय में मीटर दोषपूर्ण अवस्था में हो गया था और मीटर द्वारा सही खपत दर्ज नहीं की गई है। अर्थात् तत्समय की बिलिंग म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (यथाअनुरूप म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 8.44 अनुसार) अनुसार बिलिंग किया जाना न्यायोचित होगा, जिस अनुसार विवादित समय से ठीक 3 माह पूर्ववर्ती खपत के औसत अनुसार बिलिंग किए जाने का प्रावधान है।

इन्दौर फोरम द्वारा प्रकरण में सुनवाई पश्चात् आवेदक का परिवाद अस्वीकार कर दिया। आवेदक अनुसार यदि मीटर ने सही खपत दर्ज नहीं की है तो तत्समय की अवधि को म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 8.35 (यथाअनुरूप 8.44) अनुसार 3 माह की पूर्ववर्ती खपत की कालावधि की औसत अनुसार विवादित समय की गणना की जाना न्यायोचित होती। पी.टी. मिसिंग पाये जाने पर जो अतिरिक्त बिलिंग की गई है, उसे सही मानकर इन्दौर फोरम द्वारा दिया गया आदेश को आवेदक द्वारा विधि विपरीत बताते हुए विषयातंर्गत अपील प्रस्तुत की है।

04. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :—

i. *"उपभोक्ता के परिसर में कोई पी.टी. मिसिंग नहीं हुई है, अतः दिया गया आंकलित बिल समाप्त करने की कृपा करे एवं जमा राशि वापस दिलाने की कृपा करें।*

ii. *इसके अतिरिक्त यदि पी.टी. मिसिंग होना मान्य भी की जावे, अर्थात मीटर ने तत्समय सही खपत मीटर में दर्ज नहीं हो पाई है, अतः तत्कालीन स्थिति के लिए मीटर को डिफेक्टिव मान्य किया जाकर विवादित समयावधि की बिलिंग म.प्र. सप्लाय कोड 2013 की कंडिका 8.35 (संशोधित म.प्र. सप्लाय कोड 2021 की कंडिका 8.44) अनुसार बिलिंग संशोधन करवाने की कृपा करें।*

iii. *उपभोक्ता द्वारा जो राशि जमा कराई गई है, वह राशि ब्याज सहित उपभोक्ता को दिलवाया जाकर उसके बिल में समायोजित करवाने की कृपा करें।"*

05. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्र. W0571624 में निम्न आदेश पारित किया गया :—

"फोरम का अवलोकन एवं निर्णय :–

"4. विवादित अवधि अक्टूबर–2021 से जनवरी–2022 के दौरान मीटर में औसत खपत 654.25 यूनिट प्रतिमाह दर्ज हुई है। दिनाँक 24.01.2022 से एस.टी.एम की टीम द्वारा फेज Aberration ठीक करने के पश्चात् तीन माह फरवरी, 2022 से अप्रैल,2022 के दौरान मीटर में औसत खपत 1028.34 यूनिट प्रतिमाह दर्ज हुई है। अतः विवादित अवधि में मीटर में लगभग एक तिहाई खपत कम दर्ज होना पाया गया।"

"5. दिनाँक 01.10.2021 से दिनाँक 24.01.2022 तक उपभोक्ता के मीटर में पी.टी. मिसिंग (आर फेस) पाई गई थी। जिसकी नियमानुसार बिलिंग की गई है, एवं विपक्ष द्वारा परिवादी के बिल मार्च, 2022 में सीसीबी एडजेस्टमेंट के तेहत राशि रू. 26114.09/– जोड़ी गई, जिसे फोरम उचित मानता है। फोरम का अभिमत है कि, परिवादी द्वारा राशि रू. 26114.09/– का भुगतान किया जाना चाहिए।"

फोरम का निर्णयः–

"फोरम का उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है। :–

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी द्वारा राशि रू. 26114.09/– का भुगतान किया जावे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।"

06. **दिनाँक 14.05.2025 की सुनवाई में** आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष जैन उपस्थित हुए । अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक यंत्री, श्री विनय शुक्ला, असिस्टेंट ग्रेड–2, एवं श्री दीपांशु वर्मा, असिस्टेंट ग्रेड–3, खण्डवा उपस्थित हुए । अनावेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में लेकर एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराई गई। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आशीष जैन द्वारा इस प्रकरण को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया एवं अनावेदक द्वारा भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अनावेदक से प्रकरण संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रकरण में अगली सुनवाई **दिनाँक 04.06.2025** नियत की गई।

07. **दिनाँक 04.06.2025 की सुनवाई में** आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष जैन तथा अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक यंत्री, खण्डवा उपस्थित हुए । अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए एवं उक्त तर्क की एक प्रति अनावेदक प्रतिनिधि को भी प्रदान की गई ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक यंत्री द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें यह कथन किया गया कि मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड के नाम से कोई भी विद्युत संयोजन स्वीकृत नहीं है एवं न ही उक्त नाम से कोई विद्युत देयक प्रस्तावित होता है, अतः संदर्भित प्रकरण में मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड इन्दौर द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य न होने के कारण निरस्त किया जावे ।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आशीष जैन द्वारा लिखित कथन कर यह सूचित किया गया कि भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड अब मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड में समायोजित हो चुकी है एवं भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड के स्थान पर मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड का नाम बिजली विभाग में परिवर्तित कराने हेतु मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन प्रकियां के तहत आवेदन विगत सप्ताह प्रस्तुत कर दिया गया है । आवेदक द्वारा अपने लिखित कथन के साथ कम्पनी के रिज्यूलेशन की प्रति भी संलग्न की गई ।

उपरोक्त विषय—वस्तु पर आवेदक एवं अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों को पूर्णतः सुनने पर यह ज्ञात होता है, कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का उपभोक्ता 'भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड' है एवं अनावेदक द्वारा विद्युत देयक भी ''भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड'' के नाम से ही जारी किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रकरण में साक्ष्य के रूप में विद्युत वितरण कम्पनी ने जो एम0आर0आई0 डेटा, रिपोर्ट एवं अन्य पत्र व्यवहार के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनमें भी उपभोक्ता का नाम ''भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड'' ही अंकित है । इसके अतिरिक्त आवेदक मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है जिसमें उपभोक्ता ''भारती इन्फ्राटेल कम्पनी लिमिटेड'' ने आवेदक मेसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड को इस प्रकरण में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विवाद के निराकरण हेतु अधिकृत किया हो ।

08. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है क्या आवेदक मेसर्स इंडस टावर्स लिमिटेड की स्थिति माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021'' यथा संशोधित की कण्डिका

2.4 (घ) के अनुसार एक शिकायतकर्ता की है या नहीं ? इस संबंध में विनियम की कण्डिका 2.4 (घ), विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(2), तथा म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2021 यथा संशोधित की कण्डिका 7.25 जो निम्नानुसार उद्धृत हैं, का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया ।

(i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021'' की कण्डिका 2.4 (घ) में निम्न प्रावधान हैः–

2.4 (घ) ''शिकायत कर्ता से अभिप्रेत है –

(एक) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) में परिभाषित उपभोक्ता; या
(दो) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; या
(तीन) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; या
(चार) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक–समान हित हो; या
(पांच) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधिगण;

(ii) <u>विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) :</u>

2(15) *''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति – जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया है;*

(iii) म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 यथा संशोधित में उपभोक्ता का नाम परिवर्तन के लिए अनुपूरक अनुबंध हेतु निम्न प्रावधान है :–

7.25 *''नाम में परिवर्तन, परिसर में परिवर्तन, संयोजनों के संविलियन, परिसर के स्थानान्तरण, संयोजित भार में परिवर्तन, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन आदि के प्रयोजन के बारे में कोई भी संशोधन किया जा सकेगा यदि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों इन संशोधनों के बारे में सहमति प्रकट करते हों तथा इसे अनुपूरक अनुबंध (Supplementary agreement) में सम्मिलित किया जाएगा :*

परन्तु यह कि अनुपूरक अनुबन्ध की कोई अनुबन्ध अवधि न होगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत आपूर्ति को निम्न दाब से उच्च दाब तथा विलोमतः (Vice Versa) परिवर्तन के बारे में नवीन अनुबन्ध का निष्पादन परिवर्तित आपूर्ति वोल्टेज हेतु नवीन प्रारूप में निष्पादित किया जाएगा ।''

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि फोरम एवं विद्युत लोकपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तत्समय आवेदक का वैधानिक रूप से अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुबंध कर उपभोक्ता होना अनिवार्य है । आवेदक द्वारा नवीन विद्युत संयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर भी वह माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अन्तर्गत शिकायतकर्ता माना जा सकेगा ।

09. प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन एवं उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष आवेदक की वैधानिक स्थिति उपभोक्ता/शिकायतकर्ता की नहीं थी । आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन में भी आवेदक की वैधानिक स्थिति उपरोक्त विधिक प्रावधानों अनुसार एक उपभोक्ता/शिकायतकर्ता की नहीं पाई जाने से यह अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं पाया जाता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन हेतु योग्य नहीं होने के कारण श्रृवण क्षैत्राधिकार से बाहर पाया जाता है । इस आधार पर आवेदक का अभ्यावेदन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जाना विधि अनुरूप होगा।

10. आवेदक का अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है । इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है । तथापि, आवेदक समस्त संबंधित दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अनुपूरक अनुबंध के साथ अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी के अभिलेखों में अपना नाम परिवर्तित कराकर दो माह के अंदर उपभोक्ता के रूप में नवीन अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु स्वतंत्र है ।

11. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल